भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †565
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन निधि

†565. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला खनिज फाउंडेशन निधि के अंतर्गत एकत्रित, उपयोग की गई और वर्तमान में उपलब्ध धनराशि का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) आंध्र प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन निधि से वित्त पोषण के माध्यम से प्रस्तावित, चालू, लंबित और पूर्ण की गई परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश में खनन और संबंधित गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले चिह्नित क्षेत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) आंध्र प्रदेश में खनन और संबंधित गतिविधियों से प्रभावित और विस्थापित परिवारों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन निधि (डीएमएफ) की लेखापरीक्षा की है; और
(च) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है

(ग) और (घ) संशोधित पीएमकेकेकेवाई-2024 दिशानिर्देशों की धारा-1 में कहा गया है कि सीधा प्रभावित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी खान या खानों के समूह से ऐसे दायरे में है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों की खानों की सीमा से 15 किमी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र सीधे प्रभावित क्षेत्र से परे और किसी खान या खानों के समूह से ऐसे दायरे में है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों की खदानों की सीमा से 25 किमी से अधिक नहीं है, चाहे वह संबंधित जिले के भीतर आता हो या समीपवर्ती जिले में। प्रभावित क्षेत्रों और लोगों/परिवारों की पहचान आंध्र प्रदेश राज्य डीएमएफ नियम 2016, नियम 2(ख)(ग)(घ) द्वारा शासित होती है।

(ङ) और (च) संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 की धारा-9 में प्रावधान है कि डीएमएफ के खातों की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, डीएमएफ के खातों की लेखा-परीक्षा हर साल डीएमएफ द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी तथा उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीएमएफ आंध्र प्रदेश राज्य डीएमएफ नियम 2016 के अनुसार खातों की लेखा-परीक्षा कर रहा है।

अनुलग्नक-I

आंध्र प्रदेश में डीएमएफ निधि की जिला-वार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	जिला	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23		
		संग्रह	व्यय	शेष	संग्रह	व्यय	शेष	संग्रह	व्यय	शेष
1	अल्लूरी सीताराम राजू	-	-	-	-	-	-	0.69	1.97	-
2	अनकापल्ली	-	-	-	-	-	-	6.88	-	6.88
3	अनंतपुर	19.77	8.86	59.53	19.96	7.04	72.44	12.57	3.05	81.96
4	अन्नामय्या	-	-	-	-	-	-	24.34	-	24.34
5	बापतला	-	-	-	-	-	-	5.14	-	5.14
6	चित्तूर	9.96	10.05	38.1	8.02	0.26	45.85	5.51	-	51.36
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	-	-	-	-	-	-	0.18	0.47	-
8	पूर्वी गोदावरी	7.16	6.46	21.00	3.83	0.3	24.53	1.9	-	43.99
9	एलुरु	-	-	-	-	-	-	2.09	2.44	-
10	गुंटूर	20.38	17.38	71.88	18.76	14.82	75.82	3.61	26.39	53.04
11	काकीनाडा			-				2.43	18.62	-
12	कृष्णा	33.13	30.95	105.6	34.99	4.35	136.23	4.13	2.56	137.8
13	कुरनूल	40.67	46.17	107.83	47.97	28.56	127.24	7.5	34.25	100.49
14	नांदयाल			-				38.08	-	38.08
15	नेल्लोर	7.68	6.83	29.16	9.21	-	38.37	3.85	7.25	34.97
16	एनटीआर	-	-	-	-	-	-	30.44	-	30.44
17	पालनाडु	-	-	-	-	-	-	15.04	-	15.04
18	पार्वतीपुरम मान्यम	-	-	-	-	-	-	1.23	-	1.23
19	प्रकाशम	39.29	18.61	98.08	37.53	7.11	128.5	17.9	-	149.01
20	श्री सत्य साई	-	-	-	-	-	-	1.54	-	1.54
21	श्रीकाकुलम	9.82	8.02	19.63	7.85	14.7	12.78	6.91	2.87	16.82
22	तिरुपति	-	-	-	-	-	-	7.82	-	7.82
23	विशाखापत्तनम	15.62	6.15	41.5	13.8	0.54	54.7	1.69	0.35	56.11

							6			
24	विजयनगरम	7.18	5.86	22.35	5.94	3.02	25.27	8.64	2	31.91
25	पश्चिम गोदावरी	6.9	1.87	14.06	3.91	0.05	17.92	0.25	-	18.17
26	वाईएसआर जिला, कडप्पा	46.3	39.64	207.55	66.79	22.79	251.55	35.98	31.19	256.34

क्र. सं.	जिला	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
		संग्रह	व्यय	शेष	संग्रह	व्यय	शेष
1	अल्लूरी सीताराम राजू	0.43	-	0.43	0.1	-	1.23
2	अनकापल्ली	8.35	-	15.23	5.16	12.88	7.51
3	अनंतपुर	7.71	5.89	83.79	3.06	2.57	84.27
4	अन्नामय्या	31.1	3.28	52.16	7.56	-	59.73
5	बापतला	3.67	0.3	8.52	1.82	2.14	8.19
6	चित्तूर	-	-	51.36	0.32	-	57.39
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	0	-	-	-	0.62	-
8	पूर्वी गोदावरी	0.52	-	45.92	0.2	1.5	44.61
9	एलुरु	21.67	0.21	21.1	0.49	3.05	18.54
10	गुंटूर	0.68	23.49	30.23	0	-	82.05
11	काकीनाडा	2.15	-	-	1.73	4.94	-
12	कृष्णा	0.15	-	178.6	0.04	-	179.32
13	कुरनूल	1.61	-	102.1	0.87	-	-
14	नांदयाल	54.98	-	93.06	-	3.73	114.44
15	नेल्लोर	3.8	4.02	34.75	0.64	-	41.67
16	एनटीआर	38.9	56.06	13.28	14.17	-	70.5
17	पालनाडु	21.51	-	36.55	7.06	123.98	-
18	पार्वतीपुरम मान्यम	0.43	-	1.66	0.06	-	1.72
19	प्रकाशम	13.17	1.44	160.74	5.17	1.51	164.41
20	श्री सत्य साईं	-	-	1.54	0	-	1.54
21	श्रीकाकुलम	0.22	2.28	14.76	0.22	-	17.25
22	तिरुपति	5.56	-	13.38	0.68	0.32	13.74
23	विशाखापत्तनम	1.6	-	57.71	0.27	-	77.94
24	विजयनगरम	4.71	2.55	34.06	1.43	0.29	35.2
25	पश्चिम गोदावरी	0.02	-	0.02	-	-	20.1
26	वाईएसआर जिला, कडप्पा	39.84	51.62	244.56	12.84	17.11	240.29

अनुलग्नक-II

परियोजना का जिला-वार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत परियोजनाएं	अभी शुरू होने वाली परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं	चल रही परियोजनाएं	रद्द / निरस्त की गई परियोजनाएं
1	श्रीकाकुलम	797	164	323	93	217
2	विजयनगरम	558	316	125	33	84
3	विशाखापत्तनम	82	14	64		4
4	पूर्वी गोदावरी	353	0	48	305	0
5	पश्चिम गोदावरी	0	0	0	0	0
6	कृष्णा	290	170	55	59	6
7	गुंटूर	271	87	150	10	24
8	प्रकाशम	2621	1	1360	606	654
9	नेल्लोर	415	12	317	17	69
10	चित्तूर	298	55	51	19	173
11	अनंतपुर	2433	0	1014	981	438
12	वाईएसआर जिला, कडप्पा	6180	2245	2165	32	1738
13	कुरनूल	1373	403	581	374	15
14	अल्लूरी सीताराम राजू	0	0	0	0	0
15	अनकापल्ली	547	70	226	9	242
16	अन्नामय्या	194	5	101	78	10
17	बापतला	32	11	11	10	0
18	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	10	0	8	2	0
19	एलुरु	179	117	42	19	1
20	काकीनाडा	294	0	69	95	130
21	नांदयाल	447	0	19	428	0
22	एनटीआर	930	381	405	123	21
23	पालनाडु	2078	106	964	720	288
24	पार्वतीपुरम मान्यम	8	5	1	2	0
25	श्री सत्य साईं	0	0	0	0	0
26	तिरुपति	81	0	5	76	0